न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम :— श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0— 25 / 2022
अनवान :—

1. वेदप्रकाश पुत्र बहादुर सिह जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।।

सायल

बनाम

1. मथुरादेवी पत्नी बलराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2. राजेश पुत्र बलरमा जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. रोहताश पुत्र बलराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
4. सुरेन्द्र पुत्र बलराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
5. साहबराम पुत्र बलराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल गैरसायलान

7. भूपेन्द्रसिह पुत्र बहादुसिह जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
8. जगदीश चन्द्र पुत्र बहादुरसिह जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
9. भगवन्ती देवी पत्नी सन्तलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
10. कमलकान्त पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
11. चन्द्रप्रकाश सुथार पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :— श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 07/7/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 18 आडब्ल्यूडी के खाता संख्या 38 / 26 की कुल 3.7950हैक भूमि सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 7 ता 11 की मुश्तरका खातेदारी भूमि है ।

रोही मौजा चक चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 77 / 71 की कुल 8.0703हैक भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 की खातेदारी भूमि है।

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 7 ता 11 को अपनी कृषि भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है ।

सायल व गैरसायल संख्या 7 ता 11 अपने गांव टोपरिया से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल संख्या 1 ता 5 की भूमि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 71 / 71 के प0न0 237 / 396(19) के किला न0 1 / 0.253हैक में से मिन पश्चिम की 0.019हैक भूमि में उत्तर से दक्षिण चलकर अपने खेत के प0न0 237 / 396(19) के किला न0 10 में प्रवेश करते है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है।

उक्त रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है इसके अलावा सायल को अपनी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता नही है उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायलान कभी भी उक्त रास्ता को बन्द कर सकते है जिससे सायल को भारी नुकसान होगा एव वह अपनी कृषि भूमि काश्त करने से वंचित हो जावेगा इसलिये सायल उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने को तैयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 ता 5की भूमि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 71 / 71 के प0न0 237 / 396(19)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned by Scanner Go

के किला न0 1/0.253हैव में से मिन पश्चिम की 0.019हैव भूमि में उत्तर से दक्षिण में 0.019हैव भूमि में रास्ता स्वीकार फरमावे एवं रास्ता की भूमि के बदले में सायल की भूमि देने को तैयार है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये गैरसायलान की भूमि में से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब/मौका रिपोर्ट शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायलान संख्या 1 देने को तैयार है किसी प्रकार का ऐतराज नही किया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के खेत पडोसी है सायल अपने खेत मे जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसके कब्जा काश्त की भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात सायल एवं गैरसायल रास्ता स्वीकृत करने में सहमति हो चुकी है सायल का प्रार्थना पत्र सायल एव गैरसायल संख्या 1 ता 5 की सहमति के आधार पर स्वीकार योग्य है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः सायल एवं गैरसायल 1 की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 ता 5 की सयुक्त खाते की भूमि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 71/71 के प0न0 237/396(19) के किला न0 1/0.253हैव में से मिन पश्चिम की 0.019हैव भूमि में उत्तर से दक्षिण में 0.019हैव भूमि में रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में सायल की भूमि के प0न0 237/396(19) के किला न0 10 के उत्तर की (उत्तरी पश्चिमी कोना 12 गुणा 14 फिट भूमि को छोडकर) गैरसायल संख्या 1 ता 5 की भूमि के चिपती हुई 0.0190हैव भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned by Scanner Go

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
क्रमांक : राजस्व / रास्ता / 2022 / 2264 दिनांक 08/07/2022

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना-पत्र सं0 25 सन 2022 निर्णय दिनांक 07/07/2022

अनवान :-

अनवान :-

1. वेदप्रकाश पुत्र बहादुर सिह जाति सुथार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।। सायल

बनाम्

1 मथुरादेवी पत्नी बलराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2. राजेश पुत्र बलराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. रोहताश पुत्र बलराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
4. सुरेन्द्र पुत्र बलराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
5. साहबराम पुत्र बलराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल गैरसायलान

7. भूपेन्द्रसिह पुत्र बहादुसिह जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
8. जगदीश चन्द्र पुत्र बहादुरसिह जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
9. भगवन्ती देवी पत्नी सन्तलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
10. कमलकान्त पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
11. चन्द्रप्रकाश सुथार पुत्र सन्तलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 की सयुक्त खाते की भूमि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 77 / 71 के प0न0 237 / 396(19) के किला न0 1 / 0.253हैक में से मिन पश्चिम की 0. 019हैक भूमि में उत्तर से दक्षिण में 0.019हैक भूमि में रास्ता स्वीकार किया जाता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 की भूमि के प0न0 237 / 396(19) के किला न0 10 के उत्तर की (उत्तरी पश्चिमी कोना 12 गुणा 14 फिट भूमि को छोडकर) गैरसायल संख्या 1 ता 5 की भूमि के चिपती हुई 0.0190हैक भूमि गैरसायलान संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned by Scanner Go